

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION - *Contd.*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri Ajay Pratap Singh.

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीया सांसद डा. अमी याज्ञिक जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प के संदर्भ में बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इन्होंने सदन में जो विषय रखा है, वह बहुत ही सामयिक, प्रासंगिक और संवेदनशील विषय है। आज हम सभी लोग पर्यावरण की समस्या के संदर्भ में चिंतित हैं। अभी हमारे आस-पास का वातावरण थोड़ा-बहुत जीने लायक है, लेकिन अगर हम समय रहते सचेत नहीं हुए, तो पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जाएगा कि मानव जाति का जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। मैं आपसे इस विषय पर अपनी बात साझा करूँ, उससे पहले अपने जीवन के तीन प्रसंगों का यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ। इस विषय की संवेदनशीलता मुझे इतना अधिक इसलिए झकझोरती है, क्योंकि मेरी आँखों के सामने ये तीनों प्रसंग घटित हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, इसमें पहला प्रसंग कोरोना का है। इससे पूरी मानवता परेशान रही है। इस दुनिया में लाखों-करोड़ों लोग हमसे बिछड़ गए। कोरोना महामारी श्वास पर आधारित थी, आक्सीजन पर आधारित थी, इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे जीवन के लिए आक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण प्रदूषित होगा तो आक्सीजन का संकट खड़ा होगा। एक कोरोना जाएगा, तो दूसरा कोरोना आएगा, नया रूप बदलकर आएगा और अंत में वह समूची मानवता को निगल जाएगा, इसलिए हमें सचेत होने की आवश्यकता है।

उपसभाध्यक्ष जी, मेरे जीवन का जो दूसरा प्रसंग है, वह यह है कि आज से दो वर्ष पूर्व कांची कामकोटि पीठ के परम् श्रद्धेय आदरणीय, मैं जिनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, स्वामी विजयेंद्र सरस्वती जी ने मुझे दक्षिण भारत में बुलाया था और कावेरी नदी के दर्शन कराए थे। उन्होंने मुझे कावेरी स्नान के लिए बुलाया था। उनके कथनानुसार जिस तिथि पर मुझे आमंत्रित किया था, वह बहुत दुर्लभ तिथि थी। केलेण्डर के हिसाब से कोई पांच वर्ष में कभी-कभार ऐसी तिथि आती है। जब मैं कावेरी स्नान के लिए उपस्थित हुआ तो मैं ढूँढ़ रहा था कि नदी कहाँ पर है। पूरे तरीके से कावेरी नदी मृत हो चुकी थी और उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं थी। कावेरी स्नान करने वाले लोग कावेरी नदी के अंदर ही कुछ कुएं बनाकर मगों से स्नान कर रहे थे और नदी स्नान का पुण्य लाभ उठा रहे थे। यह दृश्य मुझे झकझोरने वाला था और पीड़ा देने वाला था।

मान्यवर, तीसरा प्रसंग मेरे गृह जिले सीधी और सिंगरौली से सम्बन्धित है। सिंगरौली हमारा आज भी आकांक्षी जिला है। इसलिए आकांक्षी जिला होने के नाते अभी भी वहाँ पर अनेक बुनियादी आवश्यकताओं की समस्या बनी हुई है, बुनियादी जरूरतों का अभाव है। मैं जिस प्रसंग का उल्लेख कर रहा हूँ, वह आज से करीब 25-30 वर्ष पुराना है। मैं युवावस्था में ही एक राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता था। उस समय जुलाई-अगस्त में बरसात के मौसम में आवागमन के साधन बहुत कठिन थे, रोड-रास्तों का भी अभाव था। बरसात के मौसम में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की होती है। सिंगरौली जिले में दुधमनिया नामक एक गांव है। उस गांव में पानी के संकट के कारण, साफ पानी उपलब्ध न होने के कारण गंदी नाली का पानी पीने की वजह से एक साथ आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी। हम लोग वहाँ पर गए थे। उस समय गांव का जो परिदृश्य था,

पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था और पूरा गांव वेदना में डूबा हुआ था। उस घटना ने मुझे बड़ा आंदोलित और प्रभावित किया।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, आप कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अजय प्रताप सिंह : इसलिए जिस विषय को आदरणीय याज्ञिक जी ने उठाया है, मैं उस विषय की संवेदनशीलता से परिचित भी हूँ और सहमत भी हूँ। भारत हमेशा पर्यावरण के मुद्दों के संदर्भ में गम्भीर रहा है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में जब भी कोई संधि हुई, कोई चर्चा हुई और कोई समझौता हुआ तो भारत ने उसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। चाहे वह जेनेवा का समझौता हो, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल कन्वेंशन हो, पेरिस का समझौता हो या अभी हाल ही में ग्लासगो का समझौता हो। भारत ने न केवल इन सबमें भाग लिया, बल्कि अग्रणी भूमिका भी निभाई है और विश्व का मार्गदर्शन भी किया है। भारत ने पूरी ताकत के साथ मार्गदर्शन किया है।

मान्यवर, यहां जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसमें दिए गए आंकड़ों से भारत की स्थिति बड़ी भयावह दिखाई देती है। अगर हम वैश्विक मापदंड पर भारत को आँकें तो दुनिया के अनेक ऐसे देश हैं जो पर्यावरण को भारत से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और ज्यादा प्रदूषित हैं। भारत में दुनिया की लगभग 17 प्रतिशत आबादी निवास करती है। भारत का दुनिया में कार्बन उत्सर्जन के सम्बन्ध में हिस्सा भी उसी प्रमाण में होना चाहिए, लेकिन 2C के लिए जो भारत का वर्तमान योगदान है, वह मात्र 1.2 प्रतिशत है। 1.5C के लिए जो carbon space होना चाहिए, वह वर्तमान में 1.8 परसेंट है। अगर हम आबादी के अनुसार भारत की हिस्सेदारी को आँकें, तो यह क्रमशः 17 परसेंट और 15 परसेंट होना चाहिए। इस लिहाज से दुनिया के पर्यावरण की दृष्टि से भारत का योगदान इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं इस बात की पैरवी कर रहा हूँ कि हमें पर्यावरण के संदर्भ में चिंता नहीं करनी चाहिए, पर्यावरण के संदर्भ में उपाय नहीं करने चाहिए, पर्यावरण के संदर्भ में आवश्यक कदम नहीं उठाने चाहिए। हमें बिल्कुल कदम उठाने चाहिए। याज्ञिक जी ने सही समय पर घंटी बजाई है।

मान्यवर, मैं इस सदन में इस बात को भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि पर्यावरण प्रदूषण का जो सीधा संबंध है, वह हमारी जीवन शैली से है। हमारी जीवन शैली जैसी होगी, पर्यावरण पर उसका वैसा ही असर पड़ेगा। अगर हमारी जीवन शैली विलासी होगी, भोग-प्रधान जीवन शैली होगी, तो स्वाभाविक रूप से हम अधिक से अधिक सुविधाओं का उपभोग करेंगे और बदले में पर्यावरण को प्रदूषण ही देंगे, लेकिन अगर हमारी जीवन शैली प्रकृति के अनुकूल होगी, अगर हम प्रकृति से साम्य बैठा कर जीवन जिएँगे, तो प्रकृति में हमारे प्रदूषण का जो योगदान होगा, वह बहुत न्यून होगा, बहुत कम होगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केन्द्र सरकार इस कार्य को बहुत कुशलतापूर्वक कर रही है। यह बड़ा नाजुक संतुलन है। एक तरफ विकास की माँग है कि विकास हो, देश आगे बढ़े, दूसरी तरफ आर्थिक संदर्भ में भी विकास को देखा जाता है। हम सबका सपना है कि हम दुनिया की पाँच बड़ी आर्थिक महाशक्तियों में भारत का भी नाम देखें, भारत उनमें शुमार हो और तीसरी तरफ हमें पर्यावरण की भी चिंता करनी है। अगर हम आर्थिक दृष्टि से विकास करेंगे, भौतिक दृष्टि से विकास करेंगे, तो पर्यावरण का नुकसान होगा और अगर हम पर्यावरण की चिंता करेंगे, तो विकास की दौड़ में हम पीछे रह जाएँगे, आर्थिक दौड़ में हम पीछे रह

जाएँगे। हमें इनके बीच में साम्य बैठाना पड़ेगा, संतुलन बैठाना पड़ेगा। हमारे आदरणीय मोदी जी ने बहुत सूक्ष्मता से, बहुत बारीकी से इन विषयों का अध्ययन किया है और भारत की जीवन शैली में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। आदरणीय मोदी जी ने भारत को संदेश देने के लिए स्वच्छता मिशन लागू किया और भारतीयों को संदेश देने के लिए स्वयं झाड़ू थामी। झाड़ू थामने के पीछे उनका जो संदेश था, वह संदेश यह था कि हम व्यक्तिगत जीवन शैली में चाहे जितने भी साफ-सुथरे तरीके से अपना जीवनयापन करें, लेकिन जो हमारे सामाजिक सरोकार हैं, उन सामाजिक सरोकारों से हमें जुड़ना पड़ेगा और जिस तरीके से हम अपना घर-आँगन साफ-सुथरा रखते हैं, उसी तरीके से हम जिस गली में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, नगर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उसकी साफ-सफाई की भी हम चिंता करें। इसके लिए हमें केवल दूसरों का मुँह नहीं ताकना है, बल्कि अपने से ही प्रारम्भ करना है।

यहाँ उज्ज्वला गैस की बात हुई है। उज्ज्वला गैस प्रथम दृष्टतया तो बड़ी साधारण योजना लगती है। लगता है कि यह महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजना है, महिलाओं की जो आँखें हैं, उनको सुविधा देने के लिए यह योजना लागू की गई है, लेकिन उज्ज्वला योजना पर्यावरण से भी जुड़ी हुई योजना है। आज 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस सिलिंडर्स वितरित हो गए हैं। इसी का असर है कि आज पूरे देश में जो वनीकरण है, उसकी संख्या बढ़ी है, उसका परिक्षेत्र बढ़ा है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : ऑनरेबल मेम्बर, आप कंकलूड करें।

श्री अजय प्रताप सिंह : हमारे यहां जंगली जानवरों की संख्या बढ़ी है। हमारे पूर्व सदस्यों ने आपके समक्ष बहुत सारे विषय रख दिए हैं। मैं आदरणीया अमी याज्ञिक जी से कहना चाहूंगा कि आपका जो संकल्प है, उसके पूर्वार्द्ध से तो मैं पूरे तरीके से सहमत हूँ। जिन विषयों को आपने उठाया है, वे स्वागत योग्य हैं, उनसे असहमत होने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन संकल्प का जो उत्तरार्द्ध है, जिसमें आपने Parliamentary Committee बनाने की बात की है, उससे मैं पूरे तरीके से असहमत हूँ। मेरा मानना है कि कोई अलग से व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, हमारा यह सदन बड़ा सक्षम मंच है। जब हम इस विषय पर आज चर्चा कर सकते हैं, तो जब कभी भी आवश्यकता पड़ेगी, जब कभी भी ऐसी चुनौती खड़ी होगी, उस समय भी हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं और निदान के लिए कोई रास्ता भी ढूँढ़ सकते हैं।

महोदय, संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसदीय समितियों का प्रावधान भी है। उन संसदीय समितियों में भी सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है, वहां पर भी अच्छी-खासी चर्चा होती है और सभी सदस्यों के दृष्टिकोण सामने आते हैं। उनके आधार पर भी हम रास्ता ढूँढ़ सकते हैं।

महोदय, आदरणीय मनोज झा जी और हमारे एक-दो अन्य मित्रों ने भी मानसिक पर्यावरण की चर्चा की है। बिल्कुल मैं भी उनकी बात से हां में हां मिलाता हूँ कि आप जिस मानसिक पर्यावरण की चर्चा कर रहे हैं, उसको ज़रा ठीक करिए। उसको आप ठीक करिए, क्योंकि यह सदन इस टेबल पर कूद कर नाचने का सदन नहीं है। आपको इसके लिए नहीं भेजा गया है। आप जो पेपर फाड़कर महासचिव के चेहरे पर उछालते हैं, जो आसंदी की ओर फेंकते हैं, वह भी पर्यावरण प्रदूषण का ही एक रूप है। वह बौद्धिक दिवालियापन है, बौद्धिक प्रदूषण है। हमारी बहन अगर

प्रदूषण के बारे में इतनी चिंतित हैं, तो मेरा उनसे यह आग्रह है कि आप अपने साथियों को समझाइए कि यह सदन हुड़दंग मचाने का मंच नहीं है। यह सदन चर्चा करने का मंच है और चर्चा के माध्यम से भारत के भविष्य को तय करने का मंच है, भारत की समस्याओं का निदान करने का मंच है। यह भारत की आवश्यकताओं को चिन्हित करने का मंच है और पूरे भारत को समवेत लेकर आगे बढ़ने का मंच है। जिस दिन आप अपने साथियों को यह समझाने में सफल होंगी, मैं समझता हूँ कि उस दिन सदन का प्रदूषण भी दूर होगा, सदन में सार्थक चर्चा के माध्यम से भारत का प्रदूषण भी दूर होगा और विश्व का प्रदूषण भी दूर होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरद्वार दुबे (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, आज समस्त विश्व के समक्ष जो सबसे ज्वलंत समस्या है, वह पर्यावरण की समस्या है और खास तौर से global warming की समस्या है। जहां पर्यावरण प्रदूषण का असर देश-विदेश सब जगह पर है, वहीं उसका थोड़ा-बहुत असर इस सदन में भी है। एक तरीके से यहां का पर्यावरण भी खराब हो गया है, चूंकि यहां सिर्फ चार लोग बैठे हैं। यह पर्यावरण का असर ही है।

सर, हम लम्बा भाषण दे लेते हैं, लेकिन अपना विषय उठाने के बाद, अपनी बात कह देने के बाद हम बाहर चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि यह भी पर्यावरण प्रदूषण का ही एक अंग है और यह जहां तक चलना चाहिए, वहां तक चलता है।

महोदय, इस विषय को उठाते समय, पर्यावरण जैसा गहन शब्द जो हमारी बहन अमी याज्ञिक जी ने उठाया है, यह सचमुच में विश्व के समक्ष एक चैलेंज है। इसी कारण से विश्व ने 70 के दशक तक यह तय किया था कि हम global warming में केवल 1.5% तापमान की ही वृद्धि होने दें। लेकिन 1.5% कहां और कब तक पूरा होगा, यदि इस विषय पर भी सारे देश कृतसंकल्पित हो जाते हैं, तो संभवतः global warming में कुछ कमी आ सकती है।

मान्यवर, जब जलवायु और वातावरण का परिवर्तन होता है, वहीं से यह विषय शुरू होता है। आज सभी माननीय सदस्यों ने बड़े सारे विषय उठाए हैं, लेकिन बहुत सम्मानजनक शब्दों में मैं भी एक बात कहूंगा। पहले जब हम शहरों में रहते थे, तो उस समय शहरों में कोई न कोई एक छोटी-बड़ी नदी रहती थी। उस समय घर में दाल उसी नदी के जल से बनती थी। शहरों में नदी के जल से और गांवों में तालाब के पानी से दाल बना करती थी, क्योंकि गांव के कुएं का पानी मीठा नहीं होता था। आज यह हालत हो गई है कि उस पानी से दाल गलाने की बात तो आप छोड़ दीजिए, उसमें कपड़े तक धोने की स्थिति भी नहीं है। उदाहरण के लिए हम आपको यहां दिल्ली के पास की दो नदियां दिखा देते हैं। एक तो यमुना जी हैं और दूसरी, बगल में गाज़ियाबाद में हिंडन नदी है। अगर इन दोनों नदियों में से किसी एक में भी आप सीधे आंख ऊपर करके चल दें, तो पता नहीं चलेगा कि आप जमीन पर चल रहे हैं या नदी में चल रहे हैं। यह सब किसने किया है - यह हमने किया है।

मैं समझता हूँ कि हम सब लोग इसे ठीक कर दें। इसी विषय पर एक बार मैंने यमुना जी को लेकर पिछले सत्र में मामला उठाया था और कहा था इसमें अनेक प्रकार की कीड़े और जीव-जंतु पैदा होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और अनेक प्रकार के जानवर भी मर जाते हैं। जलवायु प्रदूषण के कारण जानवरों की कई प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। महोदय, आज यह विषय सदन में उठाया गया है, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। इस विषय पर एक सार्थक बहस भी हो रही

है, लेकिन इस बहस को हम कितना ग्राह्य कर रहे हैं, इसका प्रमाण इस सदन में बैठे सदस्यों की संख्या है। इसलिए मैंने कहा कि ग्लोबल वॉर्मिंग का असर इस सदन के सदस्यों पर भी हो रहा है। अब झा साहब कुछ नहीं बोलेंगे, कुल चार लोग विपक्ष में उपस्थित हैं और हम बीस लोग पक्ष में बैठे हैं, मुश्किल से कुल मिलाकर 20-25 होंगे। जब यह विषय इतना गहन है, गम्भीर है, तो उस पर चर्चा के समय हम सबको यहां उपस्थित रहना चाहिए, लेकिन ऐसा न होने का क्या कारण है? केवल यहां हल्ला किया, कुछ लोग केवल हल्ला करने के लिए यहां आते हैं और जो कैमरे लगे हैं, उनकी तरफ अपना चेहरा घुमाते हैं। आप कभी ध्यान से देखियेगा कि कुछ लोग यहां नारे लगायेंगे तो जिधर कैमरा लगा है, उधर ही चेहरा करने के लिए आगे आ जाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप ध्यान से देखिये कि उनका क्या मकसद है। केवल सदन के अंदर हम हल्ला करेंगे, ताकि आम जनता के बीच में अखबारों में छप जाए कि मैंने सदन में हल्ला किया, लेकिन वे जो हल्ला करते हैं, यह भी एक तरह से प्रदूषण है। यह सब अखबारों में छपता है, उसके बाद उनका नाम आता है। वे यहां आते हैं और जितने भी लोग यहां बोलते हैं, वे सब सेन्ट्रल हॉल में बैठकर गप्पें मारते हैं, फिर गम्भीरता कहां रही? इस गम्भीरता के प्रश्न को यहां उठाइये। इस विषय की गम्भीरता कहां रही!

महोदय, अभी ग्लासगो सम्मेलन हुआ था। इस देश के मूर्धन्य प्रधान मंत्री जी ने वहां जो विषय रखा, उसमें उन्होंने जो पांच मंत्र दिये। उन्हें मैं यहां पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये पांच मंत्र उन्होंने विश्व के समक्ष दिये और विश्व को दिखा दिया कि 17 परसेन्ट की आबादी का देश होने के बाद भी भारत में जो ग्लोबल वॉर्मिंग या जलवायु प्रदूषण है, वह अभी भी अन्य देशों से कम है। इस देश के जो प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने ग्लासगो सम्मेलन में सबको एक दिशा दी है और उस दिशा में 2070 तक डेडलाइन दी गई है। इस डेडलाइन में उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान प्रदूषणविहीन हो जाएगा, ऐसी हमारी कोशिश है, उन्होंने कम से कम इतना हिम्मत से तो कहा। अब मैं उन पांचों मंत्रों को आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा।

- भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 500 मेगावॉट करेगा।
- भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से करेगा।
- भारत अब से लेकर 2030 तक संभावित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करेगा।
- 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्सर्जित कार्बन को 45% परसेन्ट से नीचे ला आएगा।
- 2070 तक भारत निवल शून्य का लक्ष्य हासिल करेगा।

माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा सुझाये गये लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें प्रदूषण के समस्त स्रोतों का पुनः आकलन करना होगा तथा एक कारगर रणनीति तय करनी होगी।

मान्यवर, इस बात को मैंने सदन में इसलिए कहा कि जिस विषय को उठाया गया है, उस पर हमारे देश का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने कितना आगे जाकर विश्व को एक दिशा दी है और इसीलिए आज जितने अखबारों में छपा, अखबारों ने हेडलाइन्स दीं, विचारकों ने अपने विचार दिये, उन्होंने इस बात को कहा कि भारत इसका अगुआ होगा और भारत एक नई दिशा देगा।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ग्लासगो सम्मेलन के 26वें मंच पर प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने पंचामृत का महामंत्र दिया, जिसमें देश गैर जीवाश्म आधारित ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावॉट करेगा। भारत घरेलू स्तर पर जिन स्वच्छ तकनीकों का निरंतर प्रवर्तन कर रहा है, उसका कॉप-26 के आलोक में संदर्भ समीचीन होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सब्सिडी, एथनॉल मिश्रण, सौर पीवी और बैटरी निर्माण में अरबों डॉलर का निवेश करने जा रहा है। जहां तमाम देश ब्लू और ग्रीन दोनों किस्म की हाइड्रोजन का समर्थन करने की दोहरी अवधारणा का अनुसरण कर रहे हैं, वहीं भारत एक विशिष्ट ग्रीन गैस और शून्य कार्बन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की स्थापना कर रहा है।

मान्यवर, देखा जा रहा है कि अधिकांश देशों द्वारा निर्धारित दीर्घकालिक लक्ष्य ऐसी प्रौद्योगिकियों पर निर्भर हैं।

5.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): माननीय सदस्य, 5 बज गये हैं। आज के Private Members' Business का समय 5 बजे समाप्त होता है।

श्री हरद्वार दुबे: सर, यह आगे continue तो होगा?

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): हाँ, यह 23 दिसम्बर को continue होगा।...(व्यवधान)... इसे फिर 23 दिसम्बर को continue किया जाएगा। अभी हम लोग Special Mentions लेंगे। We will start with Special Mentions for today.

SPECIAL MENTIONS

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Shri Ayodhya Rami Reddy Alla; not present. Shri Harnath Singh Yadav.

Demand to connect Etah district in Uttar Pradesh with high speed trains

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैंने वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 में एटा जनपद मुख्यालय को तेज गति से चलने वाली रेल सेवाओं से जोड़ने का विषय उठाया था, परन्तु मुझे खेद है कि संदर्भित विषय के सम्बन्ध में सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सका है। एटा जनपद मुख्यालय का तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों से जुड़ाव नहीं होने के कारण जिले की लगभग 20 लाख जनता को अपनी व्यापारिक व कृषि उत्पाद सम्बन्धी गतिविधियों से वंचित रहना पड़ता है, जिसका जिले के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है।